न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—श्रीनिधि बी टी, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मुकदमा नम्बर :—09/2025 (जी.सी.एम.एस.नम्बर 2025/60)

उनवान प्रकरण:—

राजस्थान सरकार जरिये प्रभूदयाल शर्मा उर्वरकं निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (मुख्यालय),कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) धौलपुर————————प्रार्थी।

बनाम

श्री सतीश शर्मा पुत्र श्री श्रीनिवास शर्मा निवासी ग्राम नहचौली, ग्रा.पं. बरई बसेडी तहसील बसेडी जिला धौलपुर ————————————————————————अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से :—दिव्या कमठान, सहायक लोक अभियोजक प्रथम।
2. अप्रार्थी की ओर से :—श्री चन्द्रसेन परिहार अभिभाषक।

निर्णय दिनॉक 05.05.2026

निर्णय

राजस्थान सरकार जरिये प्रभूदयाल शर्मा उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (मुख्यालय),कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) धौलपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य है कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप—1) कृषि विभाग जयपुर के आदेश कमांक पं.1(15) कृषि—1/2025 ई—07905 दिनांक 15.01.2025 की अनुपालना में प्रार्थी प्रभूदयाल शर्मा, निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (मुख्यालय), कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद धौलपुर में दिनांक 03.03.2025 से पदस्थापित है। राजस्थान राज पत्र 18 अप्रेल 2023 में प्रकाशित अनुसार भाग—1(ख) महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें कृषि (ग्रुप—1/इनपुट विभाग) अधिसूचना जयपुर 27 मार्च

जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

2023 अनुसार सहायक निदेशक कृषि (मुख्यालय) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद धौलपुर राजस्व सीमा जिला धौलपुर के लिए उर्वरक निरीक्षक घोषित है। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28 के तहत निहित कर्तव्यों के निर्वहन के लिये दिनांक 15.10.2025 को रात्रि पुलिस गस्तीदल व सहायक कृषि अधिकारी, बसेडी की प्रातः दूरभाष पर अवैध परिवहन कर लोहे के कारखाने में अपंजीकृत विक्रेता द्वारा अवैध गोदाम में उर्वरकों की री–पैकिंग करते पाये जाने की सूचना के आधार पर श्री सरदार मल यादव संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद धौलपुर, डॉ. तनोज चौधरी उपनिदेशक उद्यान, धौलपुर, श्री बबलू कुमार त्यागी सहायक निदेशक कृषि (वि.) धौलपुर, श्री धर्मेन्द्र कुमार कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) के साथ गये। बसेडी थाने से पुलिस जाब्ता लेकर लगभग 10 बजे पहुंचे। मौके पर रामरेश मीणा कृषि पर्यवेक्षक बसेडी, रोहित सिंह सहायक कृषि अधिकारी बसेडी उत्तर हेतराम मीणा सहायक कृषि अधिकारी बसेडी दक्षिण, गस्तीदल के दो पुलिस कार्मिक श्री राजेश कुमार एएसआई, श्री भंवरसिंह कांस्टेबल गोदाम पर लोहे का कार्य करने वाला मजदूर श्री योगेश पुत्र श्री हीरालाल कोली गांव गुमट बाडी व उर्वरक पेकिंग करने वाले 5 मजदूर मौके पर मिले। मौका स्थिति अनुसार 100 बैग डीएपी के कमवार पाये गये जो आईपीएल कंपनी की पैकिंग में अन्ना सलाई चैन्नई में डीएपी उर्वरक का विवरण छपा हुआ था। पास ही बिजली बोर्ड पर सिलाई मशीन लगी हुई थी। सिंगल सुपर फास्फेट फोर्टिफाईड विंद जिंक एण्ड बोरॉन दानेदार उर्वरक निर्माता कोरोमण्डल इंटरनेशनल लि. उदयपुर के प्रिंटेड 100 खाली बैग एक तरफ से चीरे/फटे हुये मिले एवं बैच नं. ZBG/1593-57 Bag, ZBG/1595-73Bag, कुल 160 Bags.*50kg कुल भरे हुये गोदाम के कोने में रखे हुये थे। साथ ही साथ 100 नये बैग आईपीएल कंपनी, अन्नासलाई के नवीन प्रिंटेड खाली बैग जिन पर डीएपी उर्वरक का विवरण अंकित था रखे हुये थे। मौका स्थिति व मजदूरों के बयान से प्रथम दृष्टया एसएसपी दानेदार उर्वरक के कट्टो को चीर कर आईपीएल डीएपी अंकित नवीन खाली कट्टों में भरकर सिलाई किये जाने की संभावना प्रतीत हुई। इसकी सत्यता की परख हेतु डीएपी का एक नमूना कोड नं. PDS/F/2025-26/012 एवं एसएसपी उर्वरक के तीन बैंच के प्रथक–प्रथक नमूने कोड नं. PDS/F/2025-26/011, PDS/F/2025-26/013, PDS/F/2025-26/014 राजकीय उर्वरक गुण नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशाला में जांच कराने हेतु आहरण किये गये। नियमानुसार एसएसपी 160 बैग व डीएपी 100 बैग भरे हुये सिलाई मशीन खाला नवीन आई.पी.एल. कंपनी के प्रिन्टेड डीएपी बैग, खाली फटे–चीरे बैग एसएसपी प्रिन्टेड कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड, उदयपुर को जब्त कर पुलिस थाना, बसेडी माल गोदाम में सुपुर्द कर संबंधित लोगो के खिलाफ आगे जांच एवं सजा दिलाने वास्ते एफ.आई.आर. नम्बर 0357 दिनांक 15.10.2025 पुलिस थाना बसेडी में प्राथमिकी दर्ज करवाई गयी। कार्यालय का पत्रांक 2144 दिनांक 16.10.2025 द्वारा श्रीमान अतिरिक्त निदेशक कृषि भरतपुर खण्ड भरतपुर के आदेश कमांक 6349–50 दिनांक 16.10.2025 द्वारा आवंटित राजकीय उर्वरक गुण नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर भिजवाये गये। डीएपी उर्वरक का लिया गया नमूना कोड संख्या PDS/F/2025-26/012 को राजकीय उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा जयपुर के रजिस्टर्ड पत्रांक DUR/2025-26/2195-97 दिनांक 07.11.2025 जो रजिस्टर्ड डाक ER4958788741N प्राप्त दिनांक 14.11.2025 द्वारा अमानक घोषित किया गया है। विश्लेषण रिपोर्ट अनुसार नमूने में नमी 2.5 प्रतिशत के स्थान पर 2.10 प्रतिशत, कुल नाईट्रोजन 18 प्रतिशत के स्थान पर 1.29 प्रतिशत व

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

अमोनिकल नाईट्रोजन 15.5 प्रतिशत के स्थान पर 0 प्रतिशत उपलब्ध फास्फोरस 46 प्रतिशत के स्थान पर 17.28 प्रतिशत एवं जल में घुलनशील फास्फोरस 39.5 प्रतिशत के स्थान पर 14.54 प्रतिशत, दाने का आकार 90 प्रतिशत के स्थान पर 98.70 प्रतिशत पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि जप्त डीएपी के विश्लेषण रिपोर्ट में एसएसपी उर्वरक (दानेदार) के कंटेट पाये गये। जब्त आदान खराब होने की प्रकृति का है। अतः 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जप्तशुदा उर्वरक को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि वह जब्त शुदा उर्वरक के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।

अप्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक श्री चन्द्रसेन परिहार अभिभाषक ने वकालतनामा पेश कर नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में श्री प्रभूदयाल शर्मा उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (वि0) धौलपुर ने प्रार्थी के गोदाम में उर्वरक सम्बधी कार्यवाही की थी। उक्त गोदाम का प्रार्थी मूलस्वामी है। तथा उक्त गोदाम को अप्रार्थी द्वारा राजेश कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी लाडम, मनकेडा जिला आगरा उत्तर प्रदेश को किराये पर पूर्व में ही दे रखा था। जिसके बारे में कार्यवाही करने के दौरान श्री प्रभूदयाल शर्मा जी को किरायेनामा पेश करते हुए अप्रार्थी द्वारा अवगत करा दिया था। तथा प्रार्थी द्वारा किरायेनामा की प्रति भी उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन फिर भी श्री प्रभूदयाल शर्मा उर्वरक निरीक्षक के द्वारा न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट 1955 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत अप्रार्थी के खिलाफ पेश किया। जो कि गलत है। अर्थात अप्रार्थी को जानबूझकर बेजह परेशान करने की नीयत से फसाया गया है जबकि उक्त गोदाम का संचालन पूर्णतः राजेश कुमार के द्वारा ही किया जा रहा है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को दोषमुक्त किया जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कम्पनी कोरोमण्डल इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड उदयपुर के दानेदार एसएसपी उर्वरक के खाली किये हुये 100 पॉली बैग व उर्वरक आई.पी.एल., डीएपी अंकित फ्रेश पॉली बैग में भरे हुये 100 एवं 160 बैग एस.एस.पी. दानेदार कोरोमण्डल इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड, उदयपुर के पोली बैग में भरे हुये सील्ड किये हुये खाली बैग (पुराने व नये), सिलाई मशीन (बिजली बोर्ड पर लगी) पाई गई। गोदाम पर कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा भी अपने बयानों में इसे स्वीकार किया गया। कार्यवाही के दौरान कृषि पर्यवेक्षक बसेडी, सहायक कृषि अधिकारी बसेडी व उपस्थित अन्य लोग (जिनके नाम पते व हस्ताक्षर मौका पर्चा में दर्ज है।) उपस्थित रहे। इस प्रकार अवैध रूप से उर्वरक भण्डारण करना, अन्य ब्राण्ड में परिवर्तित करना पाया गया। उपस्थित पुलिस जाब्ता एवं गवाहों के समक्ष प्रार्थी द्वारा स्वंय यह स्वीकार किया गया है कि गोदाम उसी के मालिकाना हक में है। नमूना आहरण, सीजर इत्यादि कार्यवाही में गवाहों की मौजूदगी में उन्होंने उस समय ना तो किरायानामा प्रति पेश किया/ना ही अन्य कोई दस्तावेज पेश किये जिससे गोदाम अन्य व्यक्ति का होना सिद्व हों। जप्तशुदा उर्वरक बसेडी थाने के माल गोदाम में रखा है। खराब होने/ढेला बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा बताया संबधिंत जांच अधिकारी

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

पुलिस थाना बसेडी ने चालान सी.जे.एम. कोर्ट धौलपुर में पेश कर दिया है जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतः पुनः परीक्षण हेतु एक बैग डीएपी सुरक्षित पुलिस थाना माल गोदाम बसेडी में रखते हुये शेष उर्वरक की दर तय कर नजदीक ग्राम सेवा सहकारी समिति, बसेडी को सुर्पुद कर बेचान उपरान्त राशि राजकोष में जमा कराया जाना उचित होगा। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गजट नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन आदेश की छायाप्रति, मौका पर्चा रिपोर्ट मय मौका नक्शा, एनेक्जर एए(क्लोज 28(1)(डी)) के तहत की कार्यवाही का विवरण, सुपुर्दगी पत्र, फर्म जब्ती, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर), की छाया प्रतियां पेश की।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में श्री प्रभूदयाल शर्मा उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (वि0) धौलपुर ने प्रार्थी के गोदाम में उर्वरक सम्बधी कार्यवाही की थी। उक्त गोदाम का प्रार्थी मूलस्वामी है। तथा उक्त गोदाम को अप्रार्थी द्वारा राजेश कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी लाडम, मनकेडा जिला आगरा उत्तर प्रदेश को किराये पर पूर्व में ही दे रखा था। जिसके बारे में कार्यवाही करने के दौरान श्री प्रभूदयाल शर्मा जी को किरायेनामा पेश करते हुए अप्रार्थी द्वारा अवगत करा दिया था। तथा प्रार्थी द्वारा किरायेनामा की प्रति भी उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन फिर भी श्री प्रभूदयाल शर्मा उर्वरक निरीक्षक के द्वारा न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट 1955 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत अप्रार्थी के खिलाफ पेश किया। जो कि गलत है। अर्थात अप्रार्थी को जानबूझकर बेजह परेशान करने की नीयत से फसाया गया है जबकि उक्त गोदाम का संचालन पूर्णतः राजेश कुमार के द्वारा ही किया जा रहा है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को दोषमुक्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी ने कथन किया कि श्री सतीश शर्मा निवासी नहचौली के बयाना मोड बसेडी में स्थित लोहा कारखाना पर कार्यवाही के दौरान मौके पर गोदाम से कम्पनी कोरोमण्डल इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड उदयपुर के दानेदार एसएसपी उर्वरक के खाली किये हुये 100 पॉली बैग व उर्वरक आई.पी.एल., डीएपी अंकित फ्रेश पॉली बैग में भरे हुये 100 एवं 160 बैग एस.एस.पी. दानेदार कोरोमण्डल इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड, उदयपुर के पोली बैग में भरे हुये सील्ड किये हुये खाली बैग (पुराने व नये), सिलाई मशीन (बिजली बोर्ड पर लगी) पाये गये। प्रार्थी ने मौका स्थिति व मजदूरों के बयानो से एसएसपी दानेदार उर्वरक के कट्टो को चीर कर आईपीएल डीएपी अंकित नवीन खाली कट्टो में भरकर सिलाई किया जाना बताया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि वह उक्त गोदाम का मूल स्वामी है। उक्त गोदाम को श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी लाडम, मनकेडा जिला आगरा को किराये पर पूर्व में ही दे रखा है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र के साथ किरायेनामा, वैध अनुज्ञापत्र तथा अन्य कोई सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज की प्रति पेश नही की गई जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त गोदाम श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप को किराये पर पूर्व में ही दे रखा है। अतः अप्रार्थी का यह कथन कि गोदाम को अन्य व्यक्ति श्री राजेश कुमार को किराये पर दे रखा है, असत्य प्रतीत होता है। अप्रार्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने प्रकरण में जब्तशुदा उर्वरक के संबध में कोई दावा न्यायालय के समक्ष पेश नही किया है। अतः हम प्रकरण में जब्तशुदा उर्वरक को राजसात किया जाना उचित समझते है।

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्तशुदा उर्वरक को 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजसात किये जाने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण न्यायालय सीजेएम धौलपुर में विचाराधीन होना बताया है अतः प्रार्थी पुनः परीक्षण हेतु एक बैग डीएपी पुलिस थाना माल गोदाम बसेडी में सुरक्षित रखते हुये शेष उर्वरक के विभागीय नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार जिला परिषद, धौलपुर एंव संबधित थानाधिकारी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफत्र हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जाये।

निर्णय आज दिनांक **05.05.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)